न्यायालय विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं० 05, मथुरा
जी०एस०टी०नंबर – 06/2017
राज्य बनाम गौरव उर्फ ऋतिक जाट

अ०सं० 518/2016
धारा 2/3 गिरोहबंद अधिनियम,
थाना बल्देव, जिला मथुरा।

<u>**13-06-2017**</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्त योगेन्द्र, मनोज, मंजूर अली बाहर से न्यायालय में उपस्थित है। गौरव सिंह व भेदजीत सिंह जेल से प्रस्तुत किये गये हैं। रूपेश की आज की हाजिरी माफी के लिए दिये गये प्रार्थनापत्र के आधार पर हाजिरी माफ की जाती है।

लौंगश्री ने अभियुक्त भेदजीत सिंह को किशोर अपचारी घोषित कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया है जिसके साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० हाईस्कूल परीक्षा 2013 की अंकतालिका की छायांकित प्रति तथा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र की छायांकित प्रति, लीविंग सर्टीफिकेट की छायांकित प्रति दाखिल की है तथा सुखवीर व लौंगश्री के बयानों की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की है। इस प्रार्थनापत्र के आधार पर भेदजीत सिंह को किशोर अपचारी घोषित करने का अनुरोध किया है। भेदजीत सिंह की जन्मतिथि 25-07-1998 है। जब कि यह उ०प्र० गिरोहबंद का मामला दिनांक 10-10-2016 को पंजीकृत हुआ है। 18 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसी दशा में अभियुक्त भेदजीत सिंह की वास्तविक उम्र जानने के लिए मेडिकल बोर्ड के द्वारा डाक्टरी परीक्षण कराना उचित प्रतीत हो रहा है। अतः मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला अस्पताल मथुरा को आदेशित किया जाता है कि वह मेडिकल बोर्ड गठित करके भेदजीत सिंह की वास्तविक उम्र जानने के लिए मेडिकल परीक्षण करे तथा जेल अधीक्षक मेडिकल परीक्षण कराने हेतु पुलिस अभिरक्षा में मुख्य चिकित्साधिकारी मथुरा के समक्ष मेडिकल बोर्ड में अभियुक्त को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करे तथा प्रतिसार निरीक्षक मथुरा भेदजीत सिंह को जिला जेल मथुरा से मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराये। इस आदेश की एक-एक प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा, अधीक्षक जिला कारागार मथुरा तथा प्रतिसार निरीक्षक मथुरा को अनुपालन हेतु भेजी जाए। मेडिकल बोर्ड की परीक्षण आख्या दिनांक 29-08-2017 से पूर्व न्यायालय को प्राप्त करा दी जाए।

आवेदक लौंगश्री भेदजीत सिंह को किशोर अपचारी घोषित करने के लिए दिये गये प्रार्थनापत्र के संदर्भ में यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहती है तो वह अगली तारीख पर प्रस्तुत कर सकती हैं। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 29-08-2017 को पेश हो। उस दिन सभी अभियुक्त न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।

विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं० 05, मथुरा।